



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39388

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6673/2026

परदेशी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आद्या प्रसाद तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित हो तो उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन की प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर उप-जिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला गोरखपुर को वाद संख्या 699/1982 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202005310300050), राम प्रसाद बनाम सहाती एवं अन्य, को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि मूल वाद उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 229-बी के अंतर्गत दायर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया था, जो 1982 से प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर उप-जिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के समक्ष विचाराधीन है।

5. यह मामला काफी लंबे समय से अवर न्यायालय के समक्ष लंबित है और पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

6. इस मामले के दृष्टिगत और न्याय के हित में भी, यह मामला इस अंतिम निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् अपर उप-जिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, जिनके समक्ष उक्त वाद की कार्यवाही लंबित है, उसे विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः अवर न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर विनिश्चित करें, परंतु जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

7. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश को एक सप्ताह के भीतर जिलाधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 2 को संप्रेषित करें।

18 फ़रवरी , 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)